इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई 2021—आषाढ़ 22, शक 1943

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2021

क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 23(सी) के साथ पठित धारा 15 एवं धारा 9(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,--

- 1. नियम 21 में, उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :--
 - ''(7) मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 के नियम 11 के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय हेतु जमा राशि खनिज राजस्व आगम शीर्ष में अंतरित की जाएगी.
 - (8) मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 के नियम 11 के उपबंधों के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान हेतु जमा राशि खनिज राजस्व आगम शीर्ष में अंतरित की जाएगी.
 - (9) उप-नियम (1) तथा (7) के अधीन खनिज राजस्व आगम शीर्ष में जमा राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 13 में वर्णित कार्यों में किया जाएगा.

- (10) यदि किसी ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में राशि रूपये 25 लाख से अधिक प्राप्त है, तब उस ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय हेतु शेष राशि मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में उपबंधित राज्य खनिज निधि को अंतरित की जाएगी.
- (11) उप-नियम (7) के अनुसार जमा राशि का वितरण एवं लेखा संधारण मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.
- (12) उप-नियम (8) के अनुसार खनिज राजस्व आगम शीर्ष में जमा राशि मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में यथा उपबंधित राज्य खनिज निधि में अंतरित की जाएगी.''
- 2. नियम 27 के स्थान पर, निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किए जाए, अर्थात् :--

''27. निरसन—

- (1) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 से संबंधित उपबंध उस सीमा तक निरसित किए जाते हैं, जहां तक इन नियमों को अतिक्रमित करते हों.
- (2) मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं.".

No. F 19-2-2019-XII-1-Part.—In exercise of the powers conferred by Section 15 and Section 9B read with Section 23(C), of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendments in Madhya Praesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,-

- 1. In Rule 21, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
 - "(7) The amount deposited for Gram Panchayat/Urbon Body under the provisions of Rule 11 of Madhya Pradesh Sand Rules, 2018 shall be transferred, in mineral revenue receipt head.
 - (8) The amount deposited for District Mineral Foundation under the provisions of Rule 11 of Madhya Pradesh Sand Rules, 2018 shall be transferred in mineral revenue receipt head.
 - (9) The amount deposited under sub-rule (1) and (7) in mineral revenue receipt head shall be utilized in the works mentioned in rule 13 of Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016.
 - (10) If in any Gram Panchayat/Urbon Body the amount received is more than rupees 25 lacs for those Gram Panchayat/Urbon Body, rest amount shall be transferred to the state mineral fund as provided in Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016.
 - (11) Distribution and Accounting of the amount deposited as per sub-rule (7) shall be carried out according to the provisions of rule 56 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996.
 - (12) The amount depostied in mineral revenue receipt head as per sub-rule (8) shall be transferred to the state mineral fund as provided in Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016.".

2. For Rule 27, the following rule shall be substituted, namely :-

"27. Repeal.—

- (1) The provisions related to mineral sand contained in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 and Madhya Pradesh (Prevention of Illegal Mining, Transporation and Storage) Rules, 2006 are repealed to the extent where it transgresses to these rules.
- (2) The Madhya Pradesh Sand Rules, 2018 are, hereby repealed.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.